DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

24 October, 2023

मोटे अनाज पर ज्ञान साझा करने का सत्र

सन्दर्भ: हाल ही में KAMP ने CSIR-NIScPR के संयुक्त सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के सम्मान में छात्रों के लिए एक ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित करने के भारत के सफल प्रस्ताव के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

- इस सत्र का लक्ष्य छात्रों को मोटे अनाज विशेषतः बाजरा के कृषि, पोषण और टिकाऊ महत्व पर शिक्षित करना था।
- कार्यशाला में पूरे भारत से कक्षा 5 से 12 तक के 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
- कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान का विस्तार करना और खाद्य और कृषि परिदृश्य में मोटे अनाज को अपनाने को प्रोत्साहित करना था।

मोटा अनाज

- मोटा अनाज एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग अनाज फसलों के रूप में खेती की जाने वाली विभिन्न छोटे बीज वाली वार्षिक घासों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले शुष्क और सीमांत भूमि वाले क्षेत्रों में।
- भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य मोटा अनाज में शामिल हैं: **रागी** (रागी),**ज्वार** (चारा),**जौ** (छोटा बाजरा),**बाजरे** (मोती बाजरा), आदि।
- **प्रारंभिक साक्ष्य** इन अनाजों का समय काफी पुराना है, उन्हें **सिन्धु सभ्यता में** मानव उपभोग के लिए पहले पौधों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया।
- मोटे अनाज की खेती **लगभग 131 देशों में**, व्यापक रूप से फैली हुई है और यह पूरे एशिया और अफ्रीका के **लगभग 600 मिलियन लोगों के लिए** एक **पारंपरिक खाद्य साधन** के रूप में कार्य करता है।
- **भारत** मोटा अनाज के क्षेत्र में **वैश्विक उत्पादन का 20% और एशिया में 80% उत्पादन** योगदान देकर विश्व का सबसे बड़ा मोटा अनाज उत्पादक होने का गौरव प्राप्त किया है।
- वैश्विक स्तर पर **भारत**,**नाइजीरिया**, और **चीन**, दुनिया के 55% से अधिक मोटा अनाज उत्पादन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है।

भारत में मोटा अनाज उत्पादन

- भारत विश्व का सबसे बड़ा मोटा अनाज उत्पादक है।
- **वैश्विक मोटा अनाज उत्पादन में भारत की बाजरा (बाजरा) और ज्वार (ज्वार) किस्मों की हिस्सेदारी लगभग 19% है।**
- भारत में, मोटा अनाज उत्पादन में; बाजरा का योगदान **58% है,** जबकि विश्व के मोटा अनाज उत्पादन में ज्वार का योगदान 8.09% था।
- भारत में प्रमुख मोटा अनाज उत्पादक राज्यों में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।
- इन दस राज्यों ने सामूहिक रूप से 2020-21 के दौरान भारत में मोटा अनाज उत्पादन का लगभग 98% योगदान दिया।
- अकेले राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात ने कुल मोटा अनाज उत्पादन का 83% से अधिक का प्रतिनिधित्व किया।
- राजस्थान का भारत के कुल बाजरा उत्पादन में 28.61% योगदान था।
- भारत विभिन्न मोटा अनाज किस्मों की खेती करता है, जिनमें पर्ल बाजरा, ज्वार, फिंगर बाजरा, फॉक्सटेल, कोडो, बार्नयार्ड, प्रोसो, लिटिल बाजरा और छद्म बाजरा जैसे बकव्हीट और अमरैंथ शामिल हैं।
- **भारत के कुल मोटा अनाज उत्पादन में पर्ल बाजरा (बाजरा), ज्वार (ज्वार), और फिंगर बाजरा (रागी) सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं।**

सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर)

- यह एक प्रयोगशाला है जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत संचालित होती है।
- सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) से संबंधित विज्ञान संचार और अनुसंधान के क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें **साक्ष्य-आधारित नीति अनुसंधान और अध्ययन पर** विशेष जोर दिया जाता है।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

संदर्भ: इस योजना का उल्लेख पीआईबी वेबसाइट पर किया गया।

- प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) एक समेकित योजना है जो तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को एक साथ जोड़ती है: प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से एससीएसपी), और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)। यह 2021-22 से परिचालन में है।
- PM-AJAY का प्राथमिक लक्ष्य है कौशल विकास, आय-सृजन पहल और अन्य उपायों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करके **अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के भीतर गरीबी को कम करना** । इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों में आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों को बढ़ाना भी है।
- PM-AJAY में **तीन प्रमुख घटक** शामिल हैं:
  - **अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का विकास** आदर्श ग्राम योजना के तहत।
  - **अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से जिला और राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता**: इसमें अनुसूचित जाति-प्रमुख गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों का निर्माण, व्यापक आजीविका परियोजनाएं (कौशल विकास और संपत्ति के लिए वित्तीय सहायता जैसे घटकों के साथ) आदि शामिल हैं।
  - **शीर्ष क्रम के उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूल** जो सरकार से धन प्राप्त करते हैं; **में छात्रावासों का निर्माण** ।
- आदर्श ग्राम के उद्देश्यों में एससी-प्रमुख गांवों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना और शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना शामिल है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता का उद्देश्य अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आजीविका परियोजनाओं, कौशल विकास, संपत्ति निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य पहलों का समर्थन करना है।
- विशेष प्रावधानों में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आय-सृजन योजनाओं के लिए धन अर्जित करना, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटित करना और उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विपणन में शामिल अनुसूचित जाति महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा देना शामिल है।
- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की उल्लेखनीय उपलब्धियों में 1,260 गांवों को मॉडल गांव (आदर्श ग्राम) के रूप में घोषित करना, छात्रावास घटक के तहत नौ नए छात्रावासों की मंजूरी और अनुदान के तहत सात राज्यों के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाओं की मंजूरी मिलना शामिल है।
- **अनुसूचित जातियाँ कौन हैं?**
  - **विशिष्ट जातियाँ या नस्लीय समूह** देश में अनुसूचित जाति (एससी) हैं।
  - वे **स्पष्ट सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक नुकसान का** अनुभव करते हैं।
  - ये नुकसान कुछ पारंपरिक ऐतिहासिक प्रथाओं से उत्पन्न होते हैं जैसे; **अस्पृश्यता।**
  - इन समुदायों का अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकरण संविधान के **अनुच्छेद 341, खण्ड 1** प्रावधानों पर आधारित है।

राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन

सन्दर्भ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दो अन्य पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटन को चुनौती दी गई थी।

- **भारत में प्रतीक चिन्ह कौन आवंटित करता है?**
  - **भारत का चुनाव आयोग (ECI)** प्रतीक चिन्ह आवंटन हेतु जिम्मेदार है। इसके संचालन हेतु **चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968,** जिसका उद्देश्य संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों के लिए प्रतीक आवंटन को विनियमित करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना है।
  - चुनाव चिह्नों को विशिष्ट चुनावी मानदंडों को पूरा करने वाले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा विशेष उपयोग के लिए **"आरक्षित"** या सामान्य उपयोग के लिए "**मुक्त**" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों के पास गैर-विशिष्ट, मुक्त प्रतीकों में से चुनने का विकल्प होता है, आमतौर पर नए पंजीकृत होने या राज्य पार्टी की स्थिति के लिए वोट प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के कारण यह उनपर लागू होता है।
  - मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को उनकी स्थिति के आधार पर विशेष प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए, 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने किसानों, गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना चुनाव चिन्ह साइकिल चुना था।
  - **चुनाव आयोग (EC) ऐसी सूचियाँ प्रकाशित करता है जो पार्टियों और उनके प्रतीकों की पहचान करती हैं।**
  - ये सूचियाँ भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक की जाती हैं।
  - इस वर्ष की अधिसूचना के अनुसार, कुल **छह राष्ट्रीय पार्टियाँ** हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **26 राज्य पार्टियाँ** इन अधिसूचनाओं में सूचीबद्ध हैं।
  - **2,597 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ** हैं।

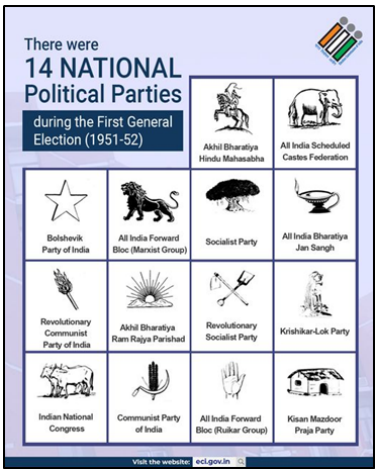

- **वर्तमान चुनाव चिन्ह कैसे अस्तित्व में आये?**
  - भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि दिवंगत एमएस सेठी, जो सितंबर 1992 में ईसीआई से सेवानिवृत्त हुए थे, प्रतीकों को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार थे।
  - एमएस सेठी इस उद्देश्य के लिए ईसीआई द्वारा नियुक्त अंतिम ड्राफ्ट्समैन थे।
  - सेठी और ईसीआई अधिकारियों की एक टीम ने उन प्रतीकों पर विचार-मंथन करने के लिए सहयोग किया, जिनसे आम आदमी आसानी से जुड़ सकता था। ईसीआई रिकॉर्ड के अनुसार, साइकिल, हाथी और झाड़ू जैसे कई प्रसिद्ध राजनीतिक दल प्रतीकों की कल्पना इन सत्रों के दौरान की गई थी।
  - इस समूह द्वारा कुछ आम वस्तुओं का भी सुझाव दिया गया था, जिसमें एक जोड़ी चश्मा, एक नेल कटर और यहां तक कि एक नेकटाई भी शामिल थी, जिसने स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की।
  - 1990 के दशक के अंत में, ईसीआई ने 100 रेखाचित्रों की एक सूची तैयार की, जो "मुक्त" प्रतीकों का स्रोत बन गए।
  - जनवरी 2023 तक, इस सूची का विस्तार हो गया है और इसमें नूडल्स का कटोरा और मोबाइल चार्जर जैसी आधुनिक वस्तुएं शामिल हो गई हैं।
- **क्या राजनीतिक दल अपनी पसंद साझा कर सकते हैं?**
  - 1968 का आदेश चुनाव आयोग को संसदीय और विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक आवंटन को विनियमित करने का आदेश देता है।
  - गैर-पंजीकृत पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई मुफ्त प्रतीकों की सूची में से दस पसंदीदा प्रतीक प्रस्तुत करने होंगे।
  - पार्टियां आवंटन के लिए तीन नए प्रतीकों का प्रस्ताव कर सकती हैं, लेकिन ये मौजूदा प्रतीकों से मिलते जुलते नहीं होने चाहिए या इनका धार्मिक या सांप्रदायिक संबंध नहीं होना चाहिए।
  - किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विभाजन की स्थिति में, चुनाव चिन्ह आवंटन पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है।
  - हाल के उदाहरणों में शामिल है कि शिवसेना गुटों ने अपने धनुष और तीर के प्रतीक को बरकरार रखा है और उन्हें एक जलती हुई मशाल सौंपी गई है, जबकि अन्य प्रतीक विकल्पों को धार्मिक या अन्य अर्थों के कारण खारिज कर दिया गया है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

24 October, 2023

सौर पैनल मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम

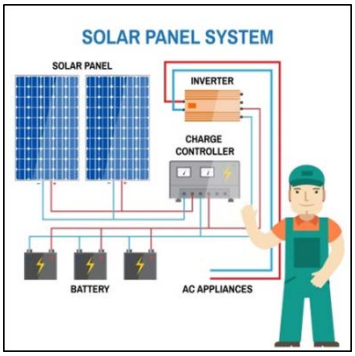

सन्दर्भ: सरकार ने गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता का आकलन करने के उद्देश्य से स्टार रेटिंग सौर पैनलों के लिए दो वर्ष का स्वैच्छिक कार्यक्रम शुरू किया है।
सरकार ने स्टार रेटिंग सौर पैनलों के लिए एक स्वैच्छिक दो-वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया है, जो 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी है।

- यह पहल सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (सौर पैनल) को चुनने और खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाती है।
- यह कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा तैयार एक स्टार लेबलिंग योजना है।
- दो वर्ष की अवधि के दौरान, कोई लेबलिंग शुल्क नहीं होगा, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य सौर पैनलों के लिए प्रदर्शन मानक स्थापित करना, लागत-प्रभावशीलता और ऊर्जा बचत पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना है।
- यह 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने और उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने के सरकार के मिशन के अनुरूप है।
- यह कार्यक्रम उपभोक्ताओं को कुशल सौर पैनल चुनने का अधिकार देता है, जिससे विक्रेताओं के दावों पर निर्भरता खत्म हो जाती है।
- इसका लक्ष्य पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हुए 2030 तक वार्षिक तौर पर 30 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है।
- यह कार्यक्रम पहले दो वर्षों के लिए स्वैच्छिक है लेकिन बाद में सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए अनिवार्य हो सकता है।
- सरकार का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और CO_2 उत्सर्जन को कम करने के 2030 तक 200 गीगावॉट सौर पैनल जोड़ने का है।
- सौर पैनल दक्षता में 2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बिजली उत्पादन होगा और CO_2 उत्सर्जन कम होगा।
- स्टार लेबलिंग के प्रभाव में बिजली उत्पादन और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि शामिल है।
- यह कार्यक्रम विभिन्न उपकरणों के लिए अनिवार्य और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के साथ मानक और लेबलिंग पहल का हिस्सा है।

स्टार रेटिंग

- लेबल के रूप में प्रदान की गई स्टार रेटिंग का उपयोग उपभोक्ताओं को विभिन्न उपकरणों की ऊर्जा दक्षता के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है।
- ये रेटिंग आम तौर पर 1 से 5 के पैमाने पर दी जाती हैं, इससे अधिक रेटिंग अधिक ऊर्जा दक्षता का संकेत देती है।
- निर्माताओं को 2006 में शुरू किए गए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत इन लेबलों को प्रदर्शित करना कानूनी रूप से आवश्यक है।
- इन स्टार रेटिंग का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पादों की ऊर्जा दक्षता के बारे में शिक्षित करना और निर्माताओं को अधिक ऊर्जा-कुशल वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ऐसे मानक और मानदंड निर्धारित करता है जिनका उपकरणों की रेटिंग करते समय पालन किया जाना चाहिए।
- जबकि कुछ उपकरणों पर ऊर्जा रेटिंग लेबल होना आवश्यक है, जबकि, अन्य के लिए यह वैकल्पिक है।
- सबसे कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों को उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त होती है, जबकि सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाले उपकरणों को सबसे कम रेटिंग मिलती है।
- इन लेबलों के दो प्रकार मौजूद हैं:
  - बड़े लेबल और छोटे लेबल।
  - निरंतर उपयोग और उच्च बिजली खपत वाले उपकरणों के लिए बड़े लेबल का उपयोग किया जाता है, जो वार्षिक ऊर्जा खपत, ब्रांड नाम और उत्पाद श्रेणी जैसी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं।
  - बड़े लेबल वाले उत्पादों में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गीजर और वॉशिंग मशीन शामिल हैं।
  - कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों के लिए छोटे लेबल नियोजित किए जाते हैं, जो स्टार रेटिंग के माध्यम से ऊर्जा दक्षता का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
  - छोटे लेबल वाले उत्पादों में छत के पंखे, ट्यूब लाइट, कंप्यूटर/लैपटॉप और टेलीविजन शामिल हैं।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

सीओटीपी फिल्म नियम

हाल ही में केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (**COTP**) अधिनियम नियमों को ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफार्मों तक बढ़ा दिया है।

COTP (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद) फिल्म नियमों के बारे में:

- सीओटीपी फिल्म नियम तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन को विनियमित और प्रतिबंधित करते हैं, उनके प्रचार और उपभोग को कम करने का प्रयास करते हैं।
- वे सिगरेट और अन्य तंबाकू वस्तुओं के व्यापार, वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को भी नियंत्रित करते हैं।

ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म के बारे में:

- 2023 के ओटीटी नियम 1 सितंबर, 2023 से लागू किये गये।
- ओटीटी (ओवर-द-टॉप) प्लेटफॉर्म ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं।
- यह लघु फिल्मों, फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, वेब श्रृंखला और टेलीविजन शो सहित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला की मेजबानी करते हैं।
- इन नियमों के तहत नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो और अन्य ओटीटी प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट, प्रमुख चेतावनियां और तंबाकू के उपयोग के प्रभावों पर ऑडियो-विजुअल अस्वीकरण प्रदर्शित करना आवश्यक है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग

हाल ही में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घोषणा की कि तटीय ओडिशा में चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण 23 से 25 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना 1875 में हुई थी।
- यह भारत की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के रूप में कार्य करता है और मौसम विज्ञान और संबंधित विषयों के लिए जिम्मेदार प्राथमिक सरकारी एजेंसी है।
- मौसम विज्ञान महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग का प्रमुख होता है।

क्षेत्रीय केंद्र:

आईएमडी छह क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित होता है, प्रत्येक का नेतृत्व एक उप महानिदेशक करता है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

	केंद्र: मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी। **मुख्यालय**: IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। **मंत्रालय:** आईएमडी वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत काम करता है।
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद	हाल ही में, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) ग्रेडिंग प्रक्रिया में राज्य के कॉलेजों के खराब प्रदर्शन के जवाब में कार्रवाई की है। **NAAC के बारे में:** ➢ NAAC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत संचालित एक स्वायत्त निकाय है। ➢ यह मान्यता प्रक्रिया के भाग के रूप में ग्रेडिंग प्रदान करके उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) का मूल्यांकन और मान्यता देता है। ➢ एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से, NAAC पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में गुणवत्ता के मानकों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता है। ➢ यह A++ से C तक की रेटिंग प्रदान करता है। D ग्रेड वाले संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं।
ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स (Optoelectronics) 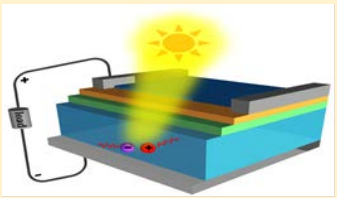	हाल ही में, गुजरात में एडवांस सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन (एलएएससी) की एक नई प्रयोगशाला ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स गुणों की जांच के लिए भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों के लिए एलएएससी जांच स्टेशन विकसित कर रही है। **ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में:** ➢ ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स में उन उपकरणों का अध्ययन और अनुप्रयोग शामिल है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या उसका पता लगाते हैं और यह फोटोनिक्स का एक उप-अनुशासन (sub-discipline) है, जो प्रकाश के भौतिक विज्ञान को शामिल करता है। ➢ ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो प्रकाश उत्पन्न करने, पता लगाने और नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर केंद्रित है। ➢ यह मुख्य रूप से निकट-अवरक्त और दृश्य प्रकाश और पर्याप्त विद्युत चालकता को अवशोषित करने के लिए उपयुक्त बैंडगैप ऊर्जा वाले अर्धचालक सामग्रियों पर निर्भर करता है। **उपकरणों के उदाहरण:** ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दूरसंचार लेजर, ऑप्टिकल फाइबर, ब्लू लेजर, एलईडी ट्रैफिक लाइट, फोटोडायोड और सौर सेल शामिल हैं। **अनुप्रयोग:** इन उपकरणों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें सैन्य सेवाएँ, अभिगम नियंत्रण प्रणाली, दूरसंचार, चिकित्सा उपकरण आदि शामिल हैं।
समाचारों में स्थान **सर्बिया**	हाल ही में, यूरोपीय संघ और अमेरिकी दूतों ने इस बात पर जोर दिया है कि कोसोवो और सर्बिया को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए। **सर्बिया (राजधानी: बेलग्रेड)** **अवस्थिति:** ➢ सर्बिया एक भूमि से घिरा देश है जो दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य और पश्चिमी भाग में स्थित है। **राजनीतिक सीमाएँ:** ➢ सर्बिया कई देशों के साथ सीमाएँ साझा करता है, जिनमें उत्तर में हंगरी, उत्तर पूर्व में रोमानिया, दक्षिण पूर्व में बुल्गारिया, दक्षिण में उत्तरी मैसेडोनिया, पश्चिम में क्रोएशिया और बोस्निया और हर्जेगोविना और दक्षिण पश्चिम में मोंटेनेग्रो शामिल हैं। **भौगोलिक विशेषताओं:** ➢ **प्रमुख नदियाँ:** डेन्यूब और सावा नदियाँ सर्बिया से होकर बहती हैं। ➢ **पर्वत:** सर्बिया में विविध स्थलाकृति है, जिसमें कार्पेथियन और रोडोप पर्वत प्रणालियों सहित दक्षिण और पूर्व में पहाड़ी क्षेत्र हैं। ➢ इसमें पश्चिमी में दीनारिक आल्प्स और पूर्व में कार्पेथियन व रोडोप पर्वत शामिल हैं। ➢ **झीलें:** सर्बिया कई झीलों का घर है, जिनमें सबसे बड़ी उत्तर में लेक पालिक है। ➢ **सबसे ऊंची चोटी:** मिडज़ोर (2170 मीटर) स्टारा प्लानिना पर्वत श्रृंखला के सर्बियाई हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है और सर्बिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।

POINTS TO PONDER

- भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? - **युवा संगम**
- उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप (ट्राइडेंट), जो खबरों में देखा गया था, किस देश से संबंधित है? - **चीन**
- किस धूमकेतु को 'ओरियोनिड उल्कापात' भी कहा जाता है? - **हैली धूमकेतु**
- हाल ही में किस एशियाई देश ने लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (एलएफ) को ख़त्म कर दिया है? - **लाओस**
- हाल ही में किस ग्रह के आसपास पहली बार 'सिंगिंग प्लाज़्मा तरंगें' की पहचान की गई है? - **बुध**